

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2013

संख्या सांकांनि० 86/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खजाना स्थापना अधीनस्थ (वर्ग ग) सेवा नियम, 1980 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा खजाना स्थापना अधीनस्थ (वर्ग ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा खजाना स्थापना अधीनस्थ (वर्ग ग) सेवा नियम, 1980 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9क.—(1) टंकण परीक्षा, लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गए हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया ‘पास’ प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा

करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मनेजमेंट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड, चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) देने से छूट दी जाती है :—

- (i) एम०टैक०/बी०टैक० (कम्प्यूटर), एम०सी०ए०, बी०सी०ए० या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटैकनिक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
- (ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०ई०एल०आई०टी०) (पूर्वी डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;
- (iii) एच०के०सी०एल० के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए०एल०सी०जे०) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच०एस०सी०आई०टी०);
- (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एस०ई०टी०सी० पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाएगा; तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पॅरेल्डिसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नॅव पॉ:लजि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नॅवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजनेरॅटिव डिस्ऑ:ड्ऑ जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लियर करना अपेक्षित होगा।”।

3. उक्त नियमों में, नियम 13 का लोप कर दिया जायेगा।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,—

I. क्रम संख्या 5 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(i) 10+2 ; तथा ”;

